न्यायालय कलक्टर, एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़ (राज.)
पीठासीन अधिकारी शिवांगी स्वर्णकार, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 07/2019 (रे.वि.)
पंजीयन दिनांक 15.01.2019

कॉर्पोरेशन बैंक MZ02, पहली मंजिल सिटी सेंटर, निम्बाहेड़ा, चित्तौड़गढ़ राजस्थान जरिये प्राधिकृत अधिकारी

–प्रार्थी

बनाम

1–मैसर्स एस. एम. बी. ऑक्सीजन प्राइवेट लिमिटेड आब्देअली एण्ड सन्स, बून्दीवाला, नेहरू पार्क के सामने, माल गोदाम रोड़ निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़
2–श्री हाजी ऐजाज हुसैन बोहरा पुत्र श्री हाजी आब्देअली
3–श्री कलीमुद्धीन बोहरा पुत्र श्री हाजी आब्देअली
4–श्री खोजीमा हुसैन बोहरा पुत्र श्री हाजी आब्देअली
5–मोहम्मद हुसैन बोहरा पुत्र श्री हाजी ऐजाज हुसैन बोहरा
6–श्रीमती हुसैना बोहरा पत्नि श्री ऐजाज अली
7–श्रीमती मुनीरा बोहरा पत्नि श्री खोजीमा बोहरा
8–श्रीमती तस्नीम बोहरा पत्नि श्री कलीमुद्धीन
सभी निवासीयान सी–65, नियर विवेकानन्द वाटीका, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़

–अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002

उपस्थिति : 1– श्री राजेन्द्र सिंह चुण्डावत, अधिवक्ता प्रार्थी

आदेश

दिनांक 02.07.2019

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण, पुनर्गठन ओर प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को राशि रूपये TLS 2,72,00,000/– रू. एवं CC 25,00,000/– रू. इस प्रकार कुल 2,97,00,000/– रू. की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। ऋण राशि के पुनर्भुगतान हेतु अप्रार्थीगण द्वारा अपनी निम्न सम्पत्ति को प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन कर दिया। अप्रार्थीगण द्वारा नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को ऋण का भुगतान करने में असफल रहने पर प्रार्थी द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये, किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा बकाया राशि जमा नहीं कराये जाने से यह आवेदन प्रस्तुत किया गया।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सूचना पत्र जारी किये गये। विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री इनायत अली ने अधिकार पत्र एवं जवाब पेश किया। उसके पश्चात् विपक्षीगण एवं उनके अधिवक्ता बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से विपक्षीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस प्रकरण प्रार्थी सुनी गई।

बैंक के अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी बैंक एक नियमित निकाय है, जो अपनी शाखाओं के माध्यम से बैंकिंग व्यवसाय करती है। प्रार्थी बैंक ने इस शाखा से अप्रार्थीगण को उक्त ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गयी जिसके तहत रहन की गई जायदाद का विवरण निम्न है:-

1-आवासीय भूमि एवं भवन सी-65, नियर विवेकानन्द वाटीका, आदर्श कॉलोनी, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ 312601 क्षेत्रफल 2860 वर्गफीट प्रतिभुति स्वामी श्री हाजी ऐजाज हुसैन बोहरा, श्री कलीमुद्धीन बोहरा, श्री खोजीमा हुसैन बोहरा

2-प्लाट नं. 5, आराजी नं. 826 का हिस्सा जोन नं. 19, मोती बावजी रोड़, प्रतिभुति स्वामी श्रीमती मुनीरा बोहरा पत्नि श्री खोजीमा बोहरा क्षेत्रफल 1037.5 वर्गफीट

3-प्लाट नं. 6 आराजी नं. 826 का हिस्सा, जोन नं. 19, मोती बावजी रोड़ प्रतिभुति स्वामी श्रीमती हुसैना बोहरा पत्नि श्री ऐजाज अली क्षेत्रफल 1000 वर्गफीट

4-प्लाट नं. 7 आराजी नं. 826 का हिस्सा, जोन नं. 19, मोती बावजी रोड़ प्रतिभुति स्वामी श्रीमती तस्नीम बोहरा पत्नि श्री कलीमुद्धीन क्षेत्रफल 1004 वर्गफीट एवं प्लाट नं. 8 क्षेत्रफल 1026 वर्गफीट आराजी नं. 826 का हिस्सा, जोन नं. 19, मोती बावजी रोड़

5-फेक्ट्री भूमि एवं भवन आराजी नं. 583 का हिस्सा, ग्राम नरसिंहगढ़ गांव नरसाखेडी, निम्बाहेड़ा चित्तौड़गढ़ प्रतिभुति स्वामी मैसर्स एस. एम. बी. ऑक्सीजन प्राईवेट लिमिटेड़ क्षेत्रफल 118554 वर्गफीट हाइपोथीकेसन चल सम्पत्तियां एवं प्लाट & मशीनरी हाइपोथीकेसन स्टॉक & बुक डेब्ट

उक्त सम्पति प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रख कर ऋण स्वीकृत किया गया था। अप्रार्थीगण द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण व ब्याज की राशि नियमित भुगतान नहीं करने पर, प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी राशि का भुगतान नहीं किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण के जिम्मे दिनांक 24.10.2018 तक राशि रूपये TLS 2,06,94,108/- रू. एवं CC 26,78,802/- रूपये तथा ब्याज व अन्य चार्जेज देय निकलते है। उक्त राशि का भुगतान नहीं करने से अप्रार्थीगण स्वयं जिम्मेदार है। अतः अप्रार्थीगण द्वारा बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पक्ष में रहन रखी गयी सम्पति का कब्जा जरिए पुलिस इमदाद प्रार्थी बैंक को दिलाया जावे।

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

विपक्षीगण ने जवाब पेश किया कि बकाया राशि जमा कराने के लिए दिनांक 08.03.19 को 25,00,000/-रू., दिनांक 11.03.19 को 13,00,000/-रू. तथा दिनांक 13.03.2019 को 22,00,000/- कुलिया 60,00,000/- रू. जमा करा दिये हैं। आगे भी जल्दी से जल्दी व्यवस्था कर बैंक की बकाया संपूर्ण राशि जमा कराने को तैयार है इस हेतु विपक्षीगण को दो माह का समय दिया जावे।

हमने पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी की बहस पर मनन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को ऋण उपलब्ध कराये जाने से इस राशि के पुनर्भरण हेतु बतौर प्रतिभूति उक्त जायदाद अप्रार्थीगण ने बैंक के पक्ष में रहन रखी है। बैंक द्वारा अप्रार्थीगण को नोटिस दिये जाने के उपरान्त भी उपरोक्त बकाया राशि जमा नहीं कराई गयी है। द सिक्योरिटाईजेशन एण्ड रिकन्सट्रक्शन ऑफ फाईनेन्शियल एसेट्स एण्ड एनफोर्समेन्ट ऑफ सिक्योरिटी इन्टरेस्ट (सेकण्ड) एक्ट, 2002 की धारा 14 में सर्व प्रथम उक्त रहन रखी गयी सम्पति को प्रार्थी बैंक के कब्जे में दिलाये जाने का स्पष्ट प्रावधान है। अतः ऋणी द्वारा बैंक में रखी गयी सम्पति का कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित है।

अतः प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण द्वारा बैंक के पक्ष में रखी गयी पैरा संख्या 3 में वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक प्रतिनिधि को जरिये पुलिस संभलाये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

'निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।'

(शिवांगी स्वर्णकार)
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
चित्तौड़गढ़ (राज.)

कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official